

सेंटर ऑफ इंडीअन ट्रेड यूनियन
 CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS
 सेंटर ओव् इंडीअन ट्रेड यूनियन्स
 भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र
 ભારતીય ટ્રેડ યુનિયન કેન્દ્ર
 भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र
 भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र
 भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र
 भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

ଭାରତର ଟ୍ରେଡ ଯୁନିୟନ କେନ୍ଦ୍ର
 भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र
 भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र
 भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र
 भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र
 (सी.आई.टी.यू.) का
 संविधान

C
I
T
U

सी.
आई.
टी.
यू.

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सी.आई.टी.यू.) का संविधान

(23-26 मार्च, 2018 को कोझिकोड में सम्पन्न जनरल काउंसिल मीटिंग में
पारित हुए संशोधनों के साथ)

नाम

1. संगठन का नाम भारतीय ट्रेड यूनियनों का केन्द्र होगा।
(संक्षेप में इसे सी.आई.टी.यू. कहा जायेगा)
2. सी.आई.टी.यू. का झण्डा लाल रंग का होगा, इसके बीच में सफेद रंग से हंसिया और हथौड़ा अंकित होगा, बांयी तरफ ऊपर से नीचे की ओर सी.आई.टी.यू. (CITU) अक्षर अंकित होंगे।

लक्ष्य और उद्देश्य

3. (A) सी.आई.टी.यू. की मान्यता है कि उत्पादन, के सभी साधनों के वितरण एवं विनिमय के समाजीकरण तथा समाजवादी राज्य की स्थापना के द्वारा ही मजदूर वर्ग के शोषण का अन्त किया जा सकता है। समाजवाद के आदर्श के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा सी.आई.टी.यू. सभी प्रकार के शोषण से पूर्णतया मुक्त समाज का समर्थक है।

(B) सी.आई.टी.यू. संघर्ष करता है:-

- (a) मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर होने वाले सभी प्रकार के अतिक्रमण के खिलाफ और हड़ताल के अधिकार सहित उनके सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं के विस्तार, लोकतांत्रिक और ट्रेड यूनियन आंदोलनों को जीतने, उनका बचाव और विस्तार करने के लिए,
- (b) गुप्त मतदान के आधार पर ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए,

- (c) वेतनों में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए, काम के घंटों को घटाने के लिए, अच्छी आवास-व्यवस्था के लिए तथा मजदूरों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए,
- (d) सम्पूर्ण रोजगार की रक्षा, काम करने के अधिकार के लिए, बेरोजगारी के सभी जोखिमों के खिलाफ,
- (e) बीमारियों, दुर्घटना और वृद्धावस्था में मजदूरों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए, सम्पूर्ण एवं पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के लिए, विधवा माताओं एवं पत्नी, आश्रित बच्चों के लिए पर्याप्त पेन्शन, पर्याप्त मातृत्व बीमा की व्यवस्था तथा अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा के लिए, प्रोविडेंट फण्ड तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगमों पर मजदूरों के प्रभावशाली नियंत्रण के लिए,
- (f) समान काम हेतु समान वेतन के लिए,
- (g) रोजगार, वेतन तथा प्रोन्नति के मामले में, छुआछूत जैसे जातिगत तथा लिंगभेद व धर्म पर आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए,
- (h) अल्पसंख्यकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए,
- (i) कारखानों, कार्यशालाओं, व्यापार संस्थानों तथा अन्य स्थानों में जहाँ सामूहिक काम होता है, वहाँ की कामकाजी स्थितियों को नियंत्रित करने के वास्ते, समितियों का गठन चुनाव के माध्यम से करने के लिए,
- (j) समुचित व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए,
- (k) निरक्षरता उन्मूलन के लिए,
- (l) जहाँ यूनियन न हो वहाँ मजदूरों की यूनियनें बनाने में सहायता देने और एक उद्योग में मजदूरों को एक

यूनियन में एकजुट करने के लिए, प्रतिद्वंद्वी यूनियनों को एक साथ लाने के लिए,

(C)

(a) मजदूर वर्ग के तात्कालिक हितों के संघर्ष में सी.आई.टी.यू. माँग करता है कि:-

(1) हमारे मजदूर वर्ग का बर्बर शोषण करने वाले सभी विदेशी इजारेदार संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया जाये।

(2) उन सभी भारतीय इजारेदार तथा बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाये, जो मजदूरों की कीमत पर भारी मुनाफे अर्जित करते हैं, जो ऊँची कीमतों के बूते जनता का शोषण करते हैं और जो सरकार की जन विरोधी तथा मजदूर विरोधी नीतियों को निर्देशित करते हैं।

(b) सी.आई.टी.यू. जनवादी ट्रेड यूनियन आंदोलनों के प्रति सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध संघर्ष करता है; पूँजीपतियों और जमींदारों की हित रक्षा करने वाली आर्थिक नीतियों के विरुद्ध और करों को बढ़ा कर तथा मुद्रास्फीति द्वारा जनसाधारण एवं मजदूर वर्ग पर बोझ लादे जाने के विरुद्ध लड़ता है, वह मौजूदा पूँजीवादी-सामन्ती व्यवस्था के स्थान पर जनता की जनवादी व्यवस्था के लिए संघर्ष करता है।

(D)

1. इस उद्देश्य के लिए:

(a) जनता के अन्य तबकों की जनवादी मांगों का समर्थन करते हुए सी.आई.टी.यू. वर्तमान पूँजीवादी-सामन्ती व्यवस्था

के स्थान पर जनता की जनवादी व्यवस्था के निर्माण के साझे संघर्ष में अन्य जनवादी शक्तियों और संगठनों के सहयोग की अपेक्षा करता है।

(b) सी.आई.टी.यू. देश की अर्थव्यवस्था की अमरीकी और अन्य विदेशी इजारेदार पूंजी पर बढ़ती निर्भरता तथा बढ़ते विदेशी ऋणों, जिससे मजदूर वर्ग का शोषण बढ़ता जा रहा है तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है, के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द करता है।

2. भूमि अधिकार के लिए तथा महाजनी लूट, लगान तथा ऊँचे करों के विरुद्ध संघर्ष में सी.आई.टी.यू. किसानों और खेतिहर मजदूरों के साथ एकजुट सम्बन्धों को बढ़ावा देता है और कृषि-क्रान्ति की ताकतों के पक्ष में हर प्रकार की सहायता प्रदान करता है, और खेतिहर मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि तथा अच्छी कामकाजी स्थितियों के लिए उनके संघर्ष को पूर्ण समर्थन प्रदान करता है। सी.आई.टी.यू. का मानना है कि मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थितियों में कोई स्थायी सुधार, सामंती भूमि संबंधों के पूर्ण उन्मूलन और बड़े भू-स्वामियों के एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त किए बिना संभव नहीं है।

3. समाजवाद के साझे संघर्ष में सी.आई.टी.यू. दूसरे देशों के मजदूरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकता को बढ़ावा देता है, समाजवादी देशों के मजदूरों और उनकी जनता के साथ बिरादराना सम्बन्धों तथा गहरे आत्मीय सम्बन्धों को बढ़ाता है।

4. सम्राज्यवादी प्रभुत्व तथा आक्रमण के विरुद्ध जनता के संघर्ष की सहायता करता है और साम्राज्यवाद के विरुद्ध कौमी मुक्ति आन्दोलनों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करता है।

5. यह विश्व शांति की रक्षा के लिए, विश्व युद्ध छेड़ने के सभी साम्राज्यवादी षडयंत्रों के विरुद्ध, अणु युद्ध के विरुद्ध तथा सामूहिक विनाश के सभी आणविक एवं अन्य हथियारों के उन्मूलन के लिए संघर्ष करता है।
6. यह विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है।
7. यह पड़ोसी देशों से मित्रवत सम्बन्धों पर आधारित विदेश नीति के लिए, युद्ध की खिलाफत एवं शांति के लिए और कौमी मुक्ति आन्दोलनों के समर्थन के लिए संघर्ष करता है।
8. ट्रेड यूनियन आन्दोलनों के संयुक्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सी.आई.टी.यू. अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ सहयोग करता है।
9. सी.आई.टी.यू. अपनी इस मान्यता पर दृढ़ है कि वर्ग संघर्ष के बिना कोई भी सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता और वह मजदूर वर्ग को वर्ग सहयोग के रास्ते पर ले जाने के सभी प्रयत्नों का लगातार विरोध करेगा।

जनवादी कार्य-प्रणाली

4. (a) अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सी.आई.टी.यू. समान उद्देश्यों के संघर्ष में दूसरे केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों तथा सम्बद्ध एवं असम्बद्ध यूनियनों और संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करने के लिए निरन्तर प्रयास करेगा।

- (b) सी.आई.टी.यू. की मान्यता है कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सी.आई.टी.यू. और उसके घटक संगठनों के प्रत्येक स्तर पर जनवादी कार्यप्रणाली अति आवश्यक है।

- (c) संगठन की जनवादी कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है कि सी.आई.टी.यू. संगठनों की बैठकों के सम्बन्ध में संविधान में की गई व्यवस्था सख्ती के साथ लागू की जाय, संविधान के अनुसार उनके उत्तरदायित्वों के प्रति कर्तव्य का निर्वाह और सामूहिक कार्य प्रणाली को लागू किया जाए।
- (d) सी.आई.टी.यू. के निकायों में अल्पमत दृष्टिकोण को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है और इसे सभी स्तरों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। संचयी मतदान पद्धति (क्युमुलेटिव वोटिंग) के द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाएगा।
- (e) सी.आई.टी.यू. के केन्द्रीय निकायों की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि राज्य समितियों तथा अन्य निर्वाचित निकाय जनवादी ढंग से एवं निर्धारित नियमों के अनुसार काम करें, संगठन के भीतर सभी तबकों के लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति को सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए।
- (f) सी.आई.टी.यू. की प्रत्येक राज्य समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सम्बद्ध यूनियन अपने विधान के अनुसार जनवादी तरीके से चले और गैर-जनवादी कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में सामने आयी सभी शिकायतों के बारे में सभी सम्बन्धित पक्षों को सुना जाए।
- (g) सी.आई.टी.यू. के निकायों के निर्णय साधारण बहुमत से लिये जायेंगे। यदि मुद्दा संविधान या इसके कार्यक्रम में परिवर्तन से सम्बन्धित है तो दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। आम तौर पर सी.आई.टी.यू. के

निकायों का चुनाव संचयी मतदान पद्धति के आधार पर किया जायेगा।

सी.आई.टी.यू. का संघटन

4. सी.आई.टी.यू. का संघटन है:

(i) सम्बद्ध यूनियनें,

(ii) सी.आई.टी.यू. के त्रिवार्षिक या विशेष अधिवेशन में एकत्र प्रतिनिधिगण,

(iii) जनरल कौंसिल

(iv) वर्किंग कमेटी और,

(v) राज्य सम्मेलन, राज्य समितियाँ तथा राज्य कौंसिलें।

सी.आई.टी.यू. अधिवेशन

6. (1) प्रत्येक तीन वर्षों में आम सत्र होगा। सत्र को सी.आई.टी.यू. अधिवेशन कहा जायेगा। सी.आई.टी.यू. का यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त निकाय है और सी.आई.टी.यू. के सभी निकाय इसी से अपने अधिकार प्राप्त करते हैं।

(2) अधिवेशन के लिए संविधान के अन्तर्गत नियमों के अनुसार सम्बद्ध यूनियनों द्वारा प्रतिनिधि चुने जायेंगे और सी.आई.टी.यू. के पदाधिकारियों का दर्जा भी निर्वाचित प्रतिनिधियों के समान होगा।

(3) सी.आई.टी.यू. अधिवेशन के काम और अधिकार निम्नांकित हैं:

(a) सी.आई.टी.यू. के कार्यक्रम और आम नीति का निर्धारण तथा उनमें इस प्रकार के परिवर्तन करना जो मजदूर वर्ग के हित के अनुरूप हो।

- (b) महासचिव की रिपोर्ट पर बहस और उसे पारित करना, कार्यसूची (एजेंडा) पर अंकित प्रश्नों से सम्बन्धित जनरल कौंसिल की रिपोर्टों पर बहस और उन्हे पारित करना।
- (c) सम्बन्ध राज्य समितियों तथा यूनियनों द्वारा अधिवेशन के सामने प्रस्तुत किए गए प्रश्नों का निरीक्षण एवं विचार-विमर्श।
- (d) मजदूर वर्ग को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर प्रस्ताव पारित करना।
- (e) यूनियनों की सम्बद्धता, या असम्बद्धता एवं अन्य प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में निर्णय करना।
- (f) निर्धारित नियमों के अनुसार, जनरल कौंसिल का चुनाव,
- (g) पदाधिकारियों का चुनाव,
- (h) अधिवेशन स्वयं ही अपनी कार्य सूची निर्धारित करेगा,
- (i) अधिवेशन वर्तमान संविधान में परिवर्तन या संशोधन करेगा,
- (j) आडिट किए गए हिसाब-किताब को अधिवेशन पास करेगा,
- (k) सी.आई.टी.यू. के कार्यक्रम तथा संविधान के अनुरूप अधिवेशन अन्य निर्णय लेगा।

विशेष अधिवेशन

7. त्रिवार्षिक अधिवेशन के बीच जनरल कौंसिल द्वारा या सी.आई.टी.यू. की समग्र सदस्य संख्या के $\frac{1}{4}$ का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों की मांग पर सी.आई.टी.यू. का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है।

सी.आई.टी.यू. के अधिवेशन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव

8. (a) सी.आई.टी.यू. के सामान्य या विशेष अधिवेशन के लिए अधिवेशन के पहले जनरल कौंसिल द्वारा सभी प्रतिनिधियों के लिए प्रबन्ध करने की क्षमता/सम्भावना और छोटी यूनियनों के हित की रक्षा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तय किये गए आधार के मुताबिक सम्बद्ध यूनियनों प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी।
- (b) सम्बद्ध यूनियन द्वारा सी.आई.टी.यू. अधिवेशन में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करने का आधार यूनियन के रजिस्टर पर दर्ज चन्दा अदा करने वाले सदस्य होंगे, जो कि आडिटर द्वारा प्रमाणित तथा सी.आई.टी.यू. अधिवेशन के पूर्व वाले साल में यूनियन की बैलेन्स सीट से स्पष्ट हो।
- (c) सम्बद्ध यूनियनों सी.आई.टी.यू. अधिवेशन की निर्धारित तिथि से दो सप्ताह पहले चुने गए प्रतिनिधियों के नाम और पते सी.आई.टी.यू. महासचिव को भेज देंगी।
- (d) सी.आई.टी.यू. की सम्बन्धित राज्य कमेटी के महासचिव या अध्यक्ष द्वारा चुनाव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने और सी.आई.टी.यू. की कार्यसमिति या जनरल कौंसिल द्वारा निर्धारित प्रतिनिधि शुल्क का भुगतान प्रत्येक प्रतिनिधि द्वारा किए जाने पर ही प्रतिनिधि कार्ड दिए जायेंगे।
- (e) कोई भी व्यक्ति जो सम्बद्ध यूनियन का पदाधिकारी या उनको चन्दा देने वाला सदस्य या विशिष्ट सदस्य नहीं है, सी.आई.टी.यू. का प्रतिनिध चुने जाने का अधिकारी नहीं होगा।
- (f) सी.आई.टी.यू. के सामान्य अधिवेशन के लिए विषय-सूची के प्रस्ताव सम्बद्ध यूनियनों के अध्यक्ष या सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए तथा वे सी.आई.टी.यू. अधिवेशन की निर्धारित तिथि से दो सप्ताह पूर्व महासचिव के पास पहुँच जाने चाहिए।

- (g) सी.आई.टी.यू. अधिवेशन में दूसरे कामों की अपेक्षा अधिकारिक कामों को प्राथमिकता दी जाएगी।

जनरल कौंसिल

9. (A) जनरल कौंसिल में शामिल होंगे:

(1) पदाधिकारी गण

(2) महाधिवेशन की ओर से चुने गए अन्य 425 सदस्य, नियमों के अनुसार जिनका वर्णन नीचे किया गया है।

(a) नीचे उल्लिखित मानदंडों के अनुसार सी.आई.टी.यू. अधिवेशन द्वारा 425 अन्य सदस्य चुने जाएंगे। उपर्युक्त 425 सीटों को सी.आई.टी.यू. की राज्य समितियों के बीच, उनकी सदस्यता संख्या के सी.आई.टी.यू. की कुल सदस्य संख्या, जिसके आधार पर महाधिवेशन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था; के अनुपात में वितरित किया जाएगा। (स्पष्टीकरण: इन 425 सदस्यों में कार्यसमिति के 125 सदस्य भी शामिल होंगे जिसका वर्णन धारा 10 (1) में किया गया है।)

(aa) प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि उपरोक्त (a) के अनुसार निर्धारित संख्या में अपने राज्य से सदस्य(यों) को चुनेंगे।

(aaa) उपरोक्त निर्वाचित जनरल कौंसिल सदस्यों के नाम सी.आई.टी.यू. अधिवेशन द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

(B) जनरल कौंसिल के अधिकार एवं कर्तव्य

(a) अधिवेशन द्वारा निर्वाचित जनरल कौंसिल, वर्किंग कमेटी का चुनाव करेगी। सी.आई.टी.यू. के दो अधिवेशनों के बीच जनरल कौंसिल सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था होगी।

(b) जनरल कौंसिल अधिवेशन की नीतियों और प्रस्तावों को कार्यान्वित करेगी, समय-समय पर ट्रेड यूनियन आन्दोलन

की स्थिति की समीक्षा करेगी और संगठन की नीतियों को आगे बढ़ाने, मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा तथा उसकी कतारों को एकताबद्ध करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

(c) वर्किंग कमेटी या सी.आई.टी.यू. सचिवमण्डल की ओर से महासचिव तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर जनरल कौंसिल विचार करेगी और यथोचित निर्णय लेगी। वह यह भी जाँचेगी कि सी.आई.टी.यू. के निकाय संविधान के अनुरूप जनवादी ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, और दुर्बलता दूर करने के लिए यथोचित कदम उठाएगी।

(d) ट्रेड यूनियन काम को विस्तारित करने के लिए, संगठन में नए मजदूरों को लाने के लिए और संयुक्त यूनियनों के निर्माण में मजदूरों की सहायता के लिए तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन में एकता लाने के लिए जनरल कौंसिल सी.आई.टी.यू. की समितियों के लिए काम की योजनाएं निर्धारित करेगी।

(e) जनरल कौंसिल अखिल भारतीय स्तर पर सम्बद्ध यूनियनों की कार्रवाईयों का समन्वय करेगी, संयुक्त कार्रवाईयों को विकसित करने के प्रयास करेगी। सम्बद्ध यूनियनों या असम्बद्ध यूनियनों द्वारा चलाई जा रही मजदूर वर्ग की हड़ताल को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगी, विभिन्न उद्योगों के मजदूरों तथा विभिन्न राज्यों के मजदूरों और कर्मचारियों के बीच एकजुट कार्रवाईयों को विकसित करेगी।

(f) कोषाध्यक्ष द्वारा पेश किए गए हिसाब-किताब की पुष्टि जनरल कौंसिल करेगी।

(g) आन्दोलन के हित में जहाँ आवश्यक होगा, जनरल कौंसिल शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करेगी।

- (h) जनरल कौंसिल नई यूनियनों को सम्बद्धता प्रदान करेगी और उसे संविधान के नियमों के अनुसार गलत आचरण करने वाली यूनियनों को असम्बद्ध करने का अधिकार होगा।
- (i) जनरल कौंसिल सी.आई.टी.यू. के उद्देश्यों को प्रचारित करेगी, जनरल कौंसिल शासक वर्ग तथा सरकार की मजदूर वर्ग विरोधी और जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध लड़ने के लिए ठोस निर्णय लेगी।
- (j) जनरल कौंसिल सी.आई.टी.यू. के त्रिवार्षिक अधिवेशन की तिथियाँ और स्थान निश्चित करेगी या उसकी तिथियाँ और स्थान निश्चित करने एवं सूचित करने के लिए वर्किंग कमेटी या सचिव मण्डल को अधिकृत करेगी।
- (k) जनरल कौंसिल को सी.आई.टी.यू. के दो अधिवेशनों के बीच विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार होगा।
- (l) जब भी किसी पदाधिकारी का स्थान रिक्त हो, जनरल कौंसिल को उसे भरने का अधिकार होगा।
- (m) आपातकालीन स्थिति में जनरल कौंसिल को संविधान में संशोधन का अधिकार होगा।

वर्किंग कमेटी

10. (1) सी.आई.टी.यू. की कार्यसमिति में शामिल होंगे:

(a) सी.आई.टी.यू. के सभी पदाधिकारी तथा

(b) प्रत्येक राज्यों में जनरल कौंसिल सदस्यों में से उसी विधि एवं अनुपात से चुने गये 125 सदस्य, जिसका उल्लेख धारा 9. (A) (ii) (a) में किया गया है।

(c) उपरोक्त ढंग से चुने गए कार्य समिति सदस्यों के नामों को जनरल कौंसिल की बैठक में मंजूरी दी जाएगी।

- (2) वर्किंग कमेटी की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी।
- (3) जनरल कौंसिल के दो सत्रों के बीच जनरल कौंसिल की ओर से वर्किंग कमेटी काम करेगी, संविधान में संशोधन को छोड़कर उसके अधिकारों का उपयोग करेगी और उत्तरदायित्वों को निभाएगी।
- (4) वर्किंग कमेटी के निर्णय जनरल कौंसिल के आगामी सत्र के समक्ष पुष्टि के लिए पेश किए जायेंगे।
- (5) सी.आई.टी.यू. की कुल सदस्य संख्या के एक चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों की मांग पर, उस मांग में अकिंत मुद्दों के लिए वर्किंग कमेटी मांग करने के दो महीने के भीतर सी.आई.टी.यू. का विशेष अधिवेशन बुलाने की कार्यवाई करेगी।

सी.आई.टी.यू. के पदाधिकारी

11. (1) (a) सी.आई.टी.यू. के पदाधिकारियों में होंगे:

- (1) एक अध्यक्ष
- (2) एक महासचिव
- (3) उपाध्यक्षगण
- (4) एक कोषाध्यक्ष और
- (5) सचिव गण

(स्पष्टीकरण: उपाध्यक्षों तथा सचिवों की संख्या का निर्धारण प्रत्येक अधिवेशन में किया जाएगा)

(b) एक या एक से अधिक प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत प्रस्तावित और अनुमोदित नामांकनों की प्राप्ति पर सी आई टी.यू.

के त्रिवार्षिक अधिवेशन द्वारा पदाधिकारियों का चुनाव किया जायेगा। नामांकित व्यक्ति अधिवेशन में चुने गए प्रतिनिधि होने चाहिए या निवर्तमान (रिटायर होने वाला) पदाधिकारी ही मनोनीत होने चाहिए।

(2) (a) अध्यक्ष, जनरल कौंसिल और वर्किंग कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। निवर्तमान (रिटायर होने वाला) अध्यक्ष त्रिवार्षिक अधिवेशन तथा अपने कार्यकाल के दौरान होने वाले अन्य किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे।

(b) महासचिव और सेक्रेटरियट (सचिव मण्डल) के साथ ही वर्किंग कमेटी और जनरल कौंसिल के निर्णयों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की है। राज्य इकाइयों से सम्पर्क बनाए रखने, हर स्तर पर सामूहिक कार्यप्रणाली की गारंटी करने, सी.आई.टी.यू. की नीतियों को लोकप्रिय बनाने और वर्तमान परिस्थितियों में उनका स्पष्टीकरण उन्ही की जिम्मेदारी है।

(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जनरल कौंसिल या वर्किंग कमेटी की बैठकों में कोई उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। सी.आई.टी.यू. के आम और विशेष अधिवेशन के दौरान कामकाज चलाने में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की सहायता करेंगे और अध्यक्षमंडल के सदस्य होंगे।

(4) वर्किंग कमेटी के दो सत्रों के बीच सी.आई.टी.यू. की कार्यवाइयों का उत्तरदायित्व महासचिव पर होगा, संगठन के काम को आगे बढ़ाने के लिए महासचिव, अध्यक्ष और सचिवों की राय से तात्कालिक निर्णय ले सकते हैं। इन सभी निर्णयों की वर्किंग कमेटी या जनरल कौंसिल, जिसकी मीटिंग भी पहले सम्पन्न हो, के द्वारा पुष्टि की जाएगी।

(5) दो महाधिवेशनों के बीच जनरल कौंसिल और वर्किंग कमेटी द्वारा किए गए कामों की रिपोर्ट सी.आई.टी.यू. अधिवेशन के

समक्ष महासचिव प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट में राज्य इकाइयों द्वारा किए कामों का भी विवरण होना चाहिए। रिपोर्ट में प्रत्येक स्तर पर संगठन की सामूहिक और जनवादी कार्यप्रणाली की विशिष्ट चर्चा होनी चाहिए और संगठनात्मक एकता को विकसित करने के कदमों की चर्चा की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में आंदोलन की समस्याओं पर चर्चा की जानी चाहिए और उन्हें हल करने के सुझाव भी होने चाहिए जो संविधान की नीतियों और कार्यक्रम के अनुरूप हों। महासचिव या सचिव मण्डल, वर्किंग कमेटी तथा जनरल कौंसिल की समय-समय पर होने वाली मीटिंगों में काम की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(6) सी.आई.टी.यू. की तमाम निधि (राशि) का उचित हिसाब-किताब रखने के लिए कोषाध्यक्ष उत्तरदायी होगा और उसे सुरक्षित रखेगा। वह इस बात की गारंटी करेगा/करेगी कि सी.आई.टी.यू. की निधि, वर्किंग कमेटी के निर्णयों और सी.आई.टी.यू. के महासचिव एवं सचिवमण्डल के निर्देशानुसार खर्च की जाएगी। वह हिसाब-किताब को हर वर्ष ऑडिट कराएगा और पुष्टि के लिए वर्किंग कमेटी और जनरल कौंसिल के समक्ष पेश करेगा/करेगी। वह सी आई टी.यू. अधिवेशन के सामने आडिटर्स द्वारा प्रमाणित हिसाब-किताब पेश करेगा/करेगी।

(7) सचिवगण, महासचिव की जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे।

(8) अध्यक्ष, महासचिव, सभी सचिव एवं अन्य सभी पदाधिकारी सी.आई.टी.यू. के सचिवमण्डल के रूप में काम करेंगे।

(9) आपात कालीन स्थिति में या जब जनरल कौंसिल या वर्किंग कमेटी की बैठक न बुलाई जा सके, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय वर्किंग कमेटी के सदस्यों को परिपत्र भेज कर किए जायेंगे।

बैठकों की सूचना

12. 1. (a) सी.आई.टी.यू. वर्किंग कमेटी, जनरल कौंसिल की बैठकों और त्रिवर्षीय या विशेष अधिवेशन के (समय, स्थान व एजेण्डा) की सूचना महासचिव द्वारा दी जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में कोई एक सचिव यह काम करेगा।

(b) वर्किंग कमेटी और जनरल कौंसिल की बैठकों के लिए कम से कम 15 दिन और सी.आई.टी.यू. अधिवेशन के लिए कम से कम एक महीने की अग्रिम सूचना दी जायेगी।

(c) सी.आई.टी.यू. संविधान और कार्यक्रम में परिवर्तन के लिए पूरे दो महीने की अग्रिम सूचना आवश्यक है।

(d) वर्किंग कमेटी की आपातकालीन बैठक 7 दिन का नोटिस देकर बुलाई जा सकती है।

(e) राज्य सम्मेलनों और राज्य कमेटियों की बैठकों के लिए भी यही व्यवस्था रहेगी, राज्य कमेटी के सचिव आवश्यक नोटिस जारी करेंगे।

2. सी.आई.टी.यू. के अधिवेशन और जनरल कौंसिल, वर्किंग कमेटी, राज्य सम्मेलनों, राज्य समितियों और कौंसिलों की बैठकों का कोरम, सम्बन्धित निकाय के सदस्यों या प्रतिनिधियों की संख्या का 1/3 होगा।

राज्य समितियाँ

13. (a) सी.आई.टी.यू. की राज्य समितियाँ और राज्य कौंसिलें (जहां कहीं भी वजूद में हों) सी.आई.टी.यू. के केन्द्रीय निकायों और घटक यूनियनों की कार्यवाहियों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है।

(b) राज्य समितियाँ और कौंसिल घटक यूनियनों को सीधे मार्गदर्शन देने के लिए उत्तरदायी हैं और वे राज्य में

मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए सी.आई.टी.यू की नीतियों को कार्यान्वित करने और ट्रेड यूनियन कार्रवाइयों को विकसित करने, प्रतिद्वंद्वी यूनियनों को एकताबद्ध करके एक उद्योग में एक यूनियन बनाने के लिए मजदूरों को लामबन्द करने के लिए उत्तरदायी है।

(c) राज्य समितियाँ और राज्य कौंसिल राज्य की सम्बद्ध यूनियनों की कार्रवाइयों का समन्वय करने, असम्बद्ध यूनियनों को साथ लेकर संयुक्त कार्यवाइयों के लिए काम करने और अपनी कार्रवाइयों की केन्द्रीय कार्यालय को सूचना देने के लिए उत्तरदायी है।

(d) धारा 3 में वर्णित सी.आई.टी.यू की राजनीतिक नीतियों और उद्देश्यों को प्रचारित करने का उत्तरदायित्व राज्य समितियों और राज्य कौंसिल का है।

(e) राज्य तथा घटक यूनियनों में सामूहिक और जनवादी कार्यप्रणाली की गारंटी करने का उत्तरदायित्व राज्य कमेटियों और राज्य कौंसिलों का है ताकि विभिन्न यूनियनों और प्रत्येक यूनियनों के नेताओं और सदस्यों के बीच निकट सम्बन्ध विकसित किए जा सकें। उनकी यह भी जिम्मेदारी है कि निर्वाचित निकायों में अल्पसंख्यक राय को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना सुनिश्चित हो।

(f) सी.आई.टी.यू के अधिवेशन के अनुरूप, प्रत्येक राज्य में सी.आई.टी.यू से सम्बद्ध सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हर तीन में साल आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन, जनरल कौंसिल की तरह ही एक राज्य कौंसिल चुनेगा, जो एक राज्य कमटी का चुनाव करेगी, यदि

राज्य सम्मेलन कौंसिल को अनावश्यक समझें, तो सीधे ही राज्य कमेटी चुन सकता है।

(g) राज्य सम्मेलन अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त ऐसे पदाधिकारियों का चुनाव भी कर सकेगा, जिन्हें वह ठीक समझें।

(h) राज्य सम्मेलन राज्य कौंसिल या राज्य कमेटी के लिए प्रतिनिधित्व का आधार निर्धारित करेगा और कौंसिल तथा कमेटी के लिए सदस्यों की संख्या भी निर्धारित करेगा।

(i) राज्य सम्मेलन अपने सत्र में—

1. सी.आई.टी.यू. के अधिवेशन, जनरल कौंसिल तथा वर्किंग कमेटी की नीतियों के कार्यान्वयन के लिए निर्णय लेगा, इन नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और यदि कोई यूनियन उनका उल्लंघन करती है तो इसकी रिपोर्ट देगा।
2. महासचिव की रिपोर्ट पर विचार करेगा तथा उसको स्वीकृति प्रदान करेगा।
3. कोषाध्यक्ष द्वारा पेश किए गए हिसाब-किताब को स्वीकृति प्रदान करेगा।
4. राज्य सरकार की नीति सहित सभी तात्कालिक प्रश्नों पर विचार-विमर्श करेगा तथा यथोचित निर्णय लेगा। राज्य सम्मेलन अखिल भारतीय आन्दोलन को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर, श्रम कानूनों तथा भारत सरकार की नीतियों पर विचार करेगा, निर्णय लेगा और जनरल कौंसिल को निर्णय का सुझाव देगा।
5. सम्बद्ध यूनियनों की सभी कार्रवाईयों का समन्वय, एक उद्योग में एक यूनियन विकसित करने और राज्य में मजदूर-वर्ग के संघर्ष की पहल करने और उसका मार्ग

दर्शन करने के लिए कदम उठाएगा तथा अन्य राज्यों के मजदूरों के साथ एकजुटता की कार्रवाई विकसित करेगा।

6. संविधान में दिए गए नियमों के अनुसार यूनियनों की सम्बद्धता की सिफारिश जनरल कौंसिल को करेगा, संविधान की धाराओं के अनुसार, जनरल कौंसिल को, यूनियनों को असम्बद्ध करने की सिफारिश करेगा।

7. सी.आई.टी.यू. के राजनीतिक लक्ष्यों को सक्रियतापूर्वक लोकप्रिय बनाएगा और जहाँ आवश्यक होगा राजनीतिक कार्यवाही के लिए यथोचित निर्णय लेगा। विशेषतः वह किसान संगठनों से निकट सम्बन्ध बनाने के विशिष्ट प्रयास करेगा और भूमि एवं अच्छे वेतनों के लिए गरीब किसानों और खेत मजदूरों के संघर्ष का समर्थन करेगा।

(j) दो राज्य सम्मेलन के बीच राज्य कौंसिल, राज्य कमेटी, जहाँ राज्य कौंसिल नहीं है, राज्य में एक अग्रणी कमेटी के तौर पर कार्य करेगी और राज्य सम्मेलन की सभी जिम्मेदारियाँ को निभाएगी और उसके अधिकार पाएगी।

(k) राज्य कौंसिल के दो अधिवेशनों के बीच में राज्य कमेटी काम करेगी और उसके उत्तरदायित्वों को पूरा करेगी और उसके अधिकारों को प्राप्त करेगी।

(l) राज्य समिति की बैठक कम से कम दो महीने में एक बार और राज्य कौंसिल की मीटिंग चार महीने में एक बार होगी।

(m) राज्य से सम्बद्धता के सभी आवेदनों पर राज्य समिति विचार करेगी और उन पर अपनी सिफारिशों के साथ सी आई.टी.यू. कार्यालय को प्रेषित करेगी, इस प्रकार का आवेदन प्राप्ति के दो महीनों के भीतर राज्य समिति द्वारा महासचिव को भेजा जाएगा।

(n) राज्य कौंसिल द्वारा अपनी कार्यवाही के लिए संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप उपनियम बनाये जा सकते हैं।

(o) राज्य समिति या राज्य कौंसिल किसी क्षेत्र की ट्रेड यूनियन कार्यवाहियों के बेहतर समन्वय के लिए और सी.आई.टी.यू. के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए जहाँ आवश्यक हो जिला, शहर और रीजनल समन्वय समितियों या ब्लॉक/ग्राम स्तर की समन्वय समितियों के गठन की अनुमति दे सकती है।

जिला कमेटियाँ

14. (a) राज्य समितियों को जिला समितियों का गठन करना चाहिए जहाँ जिले में पर्याप्त संख्या में यूनियन हैं और ऐसी समिति बनाने की जमीनी स्थितियाँ मौजूद हैं।

(b) जिला कमेटियाँ, राज्य कमेटियों, राज्य परिषदों और यूनियनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सम्पर्क बनाती हैं।

(c) जिला समितियों को राज्य समिति के मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए।

(d) जिला समितियों को जिला स्तर पर यूनियनों की गतिविधियों का समन्वय करना चाहिए। उन्हें जिले में संबद्ध यूनियनों की स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करना, बढ़ावा देना और बचाव करना है और यूनियनों के दिन-प्रतिदिन कार्य करने में दखल देने की प्रवृत्ति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। उन्हें यूनियनों की उच्च कमेटी के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(e) जिला समितियाँ सी.आई.टी.यू. द्वारा अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर लिए गए सभी निर्णयों को जिलों में लागू करने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं।

- (f) जिला समितियों को जिले में संगठित ट्रेड यूनियनों को मजबूत करने और उनका मार्गदर्शन करने में एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।
- (g) धारा 3 में वर्णित सी.आई.टी.यू. के राजनीतिक उद्देश्यों और नीतियों का जिला स्तर पर प्रचार करने की जिम्मेदारी जिला समितियों की है।
- (h) जिला समिति जिले में सी.आई.टी.यू. कार्यकर्ताओं की पहचान और विकास के लिए सीधे जिम्मेदार हैं।
- (i) जिला समितियों की जिम्मेदारी है कि जिला और घटक यूनियनों में सामूहिक कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें ताकि विभिन्न यूनियनों और जिले में प्रत्येक यूनियन के सदस्यों और नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित किए जा सकें।
- (j) राज्य सम्मेलन के अनुरूप, जिले में सी.आई.टी.यू. से संबद्ध सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन कम से कम हर तीन साल में आयोजित किया जाए। सम्मेलन अध्यक्ष महासचिव और एक कोषाध्यक्ष के अलावा राज्य समिति के मार्गदर्शन के अनुसार पदाधिकारियों का चयन करेगा। यह एक जिला समिति का भी चयन करेगा।
- (k) राज्य समिति या राज्य परिषद जहाँ भी आवश्यक समझे, शहर, ब्लॉक, क्षेत्रीय या गांव समन्वय समितियों के गठन की अनुमति दे सकती है। ऐसी सभी निम्न स्तरीय समितियों का कार्य, क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों और सी.आई.टी.यू. के उद्देश्यों के बीच समन्वय विकसित करने का होगा।

सम्बद्धता शुल्क

16. प्रत्येक सम्बद्ध यूनियन सी.आई.टी.यू. को:

- (a) प्रति सदस्य दो रुपये वार्षिक के आधार पर सम्बद्धता शुल्क का भुगतान करेगी। बशर्ते कि यह शुल्क रु० 100 से कम न हो,
- (b) सीटू मुखपत्र वर्किंग क्लास/सीटू मजदूर और वॉयस ऑफ वर्किंग वूमेन/कामकाजी महिला का वार्षिक चन्दा देगी,
- (c) कामकाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए जनरल कौंसिल या/और राज्य समितियों द्वारा निर्धारित सभी धनराशि का भुगतान करेगी;
- (d) उपरोक्त (a), (b) तथा (c) के तहत देय तीनों राशियाँ सम्बद्धता शुल्क का ही अभिन्न भाग होगी।

17. (i) संबद्धता शुल्क हर साल 30 जून तक भुगतान किया जाएगा। यदि अधिवेशन 30 जून से पहले आयोजित किया जाता है, तो उस वर्ष के लिए संबद्धता शुल्क अधिवेशन से पहले भुगतान करना होगा। यदि किसी भी यूनियन के मामले में पिछले भुगतान की वजह से वर्ष के लिए पूर्ण सदस्यता सुनिश्चित करने में कठिनाई होती है, तो पिछले वर्ष की सदस्यता अधिवेशन के लिए सदस्यता के रूप में स्वीकार की जा सकती है। विशेष योगदान या लेवी प्रत्येक मामले में तय होने पर देय हो जाएगी। देय होने वाले संबद्धता शुल्क का भुगतान न करने की दोषी इकाई को भुगतान करने तक सीआईटीयू या उसके किसी भी घटक निकाय के अधिवेशन में मतदान करने या भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा; बशर्ते कि कार्यकारी समिति विशेष मामलों में कारण दर्ज करके, अयोग्यता को हटा दें।

यूनियनों की सम्बद्धता

15. (a) यदि निम्नांकित शर्तें पूरी हों तो सी.आई.टी.यू. किसी भी नियमित यूनियन को अपने से सम्बद्ध कर सकता है।

(1) सम्बद्धता की माँग करने वाली यूनियन अपना आवेदन निर्धारित फार्म पर देगी।

(2) वह नियमों के अनुसार प्रति वर्ष सम्बद्धता शुल्क और विशेष लेवी का भुगतान करेगी।

(3) वह अपने विधान की एक प्रति, पदाधिकारियों की एक तालिका, आडिट किया सालाना हिसाब-किताब जिसमें चन्दा देने वाले सदस्यों की औसत संख्या और अन्य ऐसी सूचना देगी जिन्हे सी.आई.टी.यू. के महासचिव द्वारा मांगा जाए।

(4) जहाँ भी राज्य समिति हो, सम्बद्धता आवेदन राज्य समिति द्वारा सी.आई.टी.यू. के महासचिव को भेजा जाएगा। ऐसे आवेदन राज्य समितियों द्वारा प्राप्ति के दो महीने के भीतर महासचिव को समिति की टिप्पणियों के साथ भेज दिये जायेंगे, जिसमें सी.आई.टी.यू. संविधान के अनुसार यूनियन की सम्बद्धता की क्षमता दर्शायी जाएगी;

(5) सी.आई.टी.यू. से सम्बद्धता की इच्छुक यूनियन अपने सदस्यों से प्रति माह, तिमाही, छमाही या सालाना कम से कम 12 रुपये सालाना सदस्यता का चन्दा उगाएगी;

(b) सी.आई.टी.यू. की वर्किंग कमेटी को किसी ट्रेड यूनियन की सम्बद्धता के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर देने का अधिकार होगा, तथापि असन्तुष्ट यूनियन को जनरल कौंसिल या सी.आई.टी.यू. के विशेष अधिवेशन से अपील का अधिकार है।

(ii) सम्बद्धता शुल्क की गैर-अदायगी के कारण आयोग्य घोषित यूनियन अपना बकाया और वर्तमान शुल्क अदा करने पर फिर से सम्बद्ध की जा सकती है।

(iii) यदि किसी यूनियन को धारा के अर्थ में अयोग्य घोषित किया गया है;

(iv) 12 महीने से कम की अवधि के मामलों में महासचिव संबंधित यूनियन को नोटिस की तारीख से तीन महीने के अंदर सभी बकाया राशि के भुगतान के लिए नोटिस जारी कर सकता है। यदि यूनियन ऐसे सभी बकाया भुगतान दिए गए समय के अंदर करने में विफल रहती है, तो वह असम्बद्धता के लिए उत्तरदायी होगी। जनरल कौंसिल निर्दिष्ट किए गए कारणों के साथ, निर्दिष्ट यूनियनों के मामले में इन बकाया राशि के पूरे या हिस्से को छोड़ सकती है।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव

18. विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों के प्रतिनिधियों और सलाहकारों को आम तौर पर जनरल कौंसिल या कार्यसमिति की मीटिंगों में निर्वाचित किया जाएगा, जिसका भी सत्र चल रहा हो। आपात स्थिति के मामले में, या जब जनरल कौंसिल या कार्यसमिति को बुलाया नहीं जा सकता है, तो कार्यसमिति के सदस्यों को परिपत्र द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बद्धता

19. सी.आई.टी.यू. ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्बद्ध हो सकता है जिनके उद्देश्य हूबहू वही या समान हों।

वित्त

20. सी.आई.टी.यू का कोष बैंक में रहेगा और वर्किंग कमेटी को ऐसे पदाधिकारियों को नामजद करने का अधिकार होगा, जिनमें एक कोषाध्यक्ष अवश्य होगा, जिन्हें बैंक—, एकाउंट खोलने तथा चालू करने का अधिकार होगा।

अनुशासनात्मक कार्यवाही

21. (a) जनरल कौंसिल को ऐसी किसी भी यूनियन को असम्बद्ध कर देने का अधिकार होगा, जो अपनी सम्बद्धता फीस देने में कोताही करती हो या जो जानबूझकर सी.आई.टी.यू. के हितों और संविधान के खिलाफ काम कर रही हो।

(b) मजदूर वर्ग के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी भी पदाधिकारी को हटाने का अधिकार जनरल कौंसिल को होगा। इसी प्रकार जनरल कौंसिल के किसी सदस्य के विरुद्ध, जो ऐसे काम का अपराधी हो, कार्यवाही करने का अधिकार जनरल कौंसिल का होगा। इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही के पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को अपने व्यवहार के लिए सफाई देने का अधिकार दिया जायेगा।

(c) राज्य समितियों तथा अन्य निकायों को अपने सदस्यों के बारे में कार्रवाई करने का इसी प्रकार अधिकार होगा।

(d) जनरल कौंसिल या राज्य कौंसिल या राज्य कमेटी द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध व्यक्तियों तथा यूनियनों को सी.आई.टी.यू. अधिवेशन या राज्य सम्मेलन से अपील करने का अधिकार होगा।

(e) सी.आई.टी.यू. की नीतियों के विरुद्ध काम करने वाले या फिर निष्क्रियता के कारण या अन्य कारणों से अपनी जिम्मेदारियों

को न निभा पाने के लिए जिम्मेदार राज्य समितियों एवं राज्य कौंसिल को, दो तिहाई बहुमत के बल पर, भंग करने या पुनर्गठित करने का अधिकार जनरल कौंसिल को होगा। इस तरह की कार्रवाई से पहले जनरल कौंसिल को सम्बन्धित राज्य समिति या राज्य कौंसिल की बैठक बुलानी होगी ताकि उनके सदस्यों को सुनवाई का अवसर दिया जा सके। इस तरह की कार्रवाई के छः महीने के अंदर जनरल कौंसिल को नई राज्य समिति/या राज्य कौंसिल के चुनाव के लिए उस राज्य की यूनियनों का सम्मेलन बुलाना होगा।

उपनियम

22. जनरल कौंसिल को ऐसे उपनियम बनाने का अधिकार होगा जो संविधान से असंगत न हों।

जून 2018

मूल्य : 6 रुपये

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए 13-ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित (फोन : 22582847)